न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 812/ 2019

1 भूपेन्द्र सिंह पुत्र जग्गा सिंह जाति जट सिख निवासी 25 के एस डी बी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र जग्गा सिंह जाति जट सिख निवासी 25 के एस डी बी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 जग्गा सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जट सिख निवासी 25 के एस डी बी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 परविन्द्र कौर पुत्री जग्गा सिंह पत्नी हरविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 24 एल एल डब्ल्यू पक्का सहारणा तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 3/12/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 25 के एस डी 'ए' जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 50/21 प.न. 73/105 मु.न. 39 कि. न. 8,9, 12,13,16 ता 19, 22 ता 25 में 3.036 है. नहरी, प.न. 74/105 मु.न. 40 कि.न. 12 ता 13, 21 में 1.012 है. नहरी, प.न. 75/105 मु.न. 41 कि.न. 9 ता 12 में 1.012 है. नहरी, प.न. 73/106 मु.न. 44 कि.न. 1/2, 2में 0.140 है. नहरी मय खाला, प.न. 70/106 मु.न. 47 कि.न. 10 में 0.240 है.नहरी कुल खाता 5.440 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3.416 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। चक 24 के एस डी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 36/38 प.न. 72/109 मु.न. 16 कि.न. 4 ता 7, 10 ता 14 में 2.277 है. नहरी मय खाला कुल खाता 2.277 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.138 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। चक 24 के एस डी जमाबदीसम्वत 2071–2074 खाता संख्या 38/28 प.न. 73/113 मु.न. 33 कि.न .1, 2 में 0.506 है. नहरी मय खाला आराजीमें से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.253 है. आराजी एव इसी चक के खाता संख्या 82/75 में 0.506 है. आराजी दर्ज कागजात माल है।नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण एव प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है एव वादीगण एव प्रतिवादी हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल से शासित है जहां प्रतयेक सन्तान को सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

बनता है जो कि वादाधीन आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुयी है एव वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 केपुत्र होने के नाते वादाधीन आराजी में कानूनन हक व हिस्सा रखते है। वादाधीन आराजी का वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चूका है एव प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की आराजीको वादीगण एव प्रतिवादी संख्या1 के हक में छोड़ दिया है एव मुताबिक बंटवारानूसार वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 25 के एस डी ए के खाता संख्या 50/21 में 3.596 है. आराजी ब.हि.ब. प्राप्त हुयी है एव वादीगण मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार वादाधीन आराजी को ब.हि.ब. काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियोंमे पेश कर निवेदन है कि वादीगण संख्या 1 व2 को चक 25 के एस डी 'ए' जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 50/21 प.न. 73/105 मु.न. 39 कि.न. 8,9, 12,13,16 ता 19, 22 ता 25 में 3.036 है. नहरी, प.न. 74/105 मु.न. 40 कि.न. 12 ता 13, 21 में 1. 012 है. नहरी, प.न. 75/105 मु.न. 41 कि.न. 9 ता 12 में 1.012 है. नहरी, प.न. 73/106 मु.न. 44 कि.न. 1/2, 2में 0.140 है. नहरी मय खाला, प.न. 70/106 मु.न. 47 कि.न. 10 में 0.240 है.नहरी कुल खाता 5.440 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.416 है. आराजी में ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एव प्रतिवादी के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है, वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव उक्त आराजी के अलावा भी प्रतिवादी के पास अन्य खातों में आराजी है जिसका बंटवारा होकर एव अपने अपने हक हिस्सा में होना सभी पक्षकारान ने स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव वादीगण के कथनों के सम्बध में प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया है, इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को अभिकथनों, दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 25 के एस डी 'ए'

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 50/21 प.न. 73/105 मु.न. 39 कि.न. 8,9, 12,13,16 ता 19, 22 ता 25 में 3.036 है. नहरी, प.न. 74/105 मु.न. 40 कि.न. 12 ता 13, 21 में 1.012 है. नहरी, प.न. 75/105 मु.न. 41 कि.न. 9 ता 12 में 1.012 है. नहरी, प.न. 73/106 मु.न. 44 कि.न. 1/2, 2में 0.140 है. नहरी मय खाला, प.न. 70/106 मु.न. 47 कि.न. 10 में 0.240 है.नहरी कुल खाता 5.440 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.416 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 812/ 2019

1 भूपेन्द्र सिंह पुत्र जग्गा सिंह जाति जट सिख निवासी 25 के एस डी बी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र जग्गा सिंह जाति जट सिख निवासी 25 के एस डी बी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 जग्गा सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जट सिख निवासी 25 के एस डी बी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 परविन्द्र कौर पुत्री जग्गा सिंह पत्नी हरविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 24 एल एल डब्ल्यू पक्का सहारणा तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 25 के एस डी 'ए' जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 50/21 प.न. 73/105 मु.न. 39 कि.न. 8,9, 12,13,16 ता 19, 22 ता 25 में 3.036 है. नहरी, प.न. 74/105 मु.न. 40 कि.न. 12 ता 13, 21 में 1.012 है. नहरी, प.न. 75/105 मु.न. 41 कि.न. 9 ता 12 में 1.012 है. नहरी, प.न. 73/106 मु.न. 44 कि.न. 1/2, 2में 0.140 है. नहरी मय खाला, प.न. 70/106 मु.न. 47 कि.न. 10 में 0.240 है.नहरी कुल खाता 5.440 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.416 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3/12/19 को जारी किया गया।

3/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:31:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: